

हांगकांग ने विदेश से आने वालों के लिए क्राइटाइन में किया बड़ा बदलाव

हांगकांग। हांगकांग में विदेश से आने वाले नागरिकों के लिए अनिवार्य पृथक्वास अवधि को 21 दिन से घटाकर 14 दिन किया



जा रहा है। हालांकि यहां अब भी कोविड-19 के नए मामले आ रहे हैं। हांगकांग कारोबार का बड़ा केंद्र है और विदेश यात्राओं पर कड़ी पारदियों के कारण लोगों ने अपने सामने आ रहीं परेशानियों के संबंध में शिकायतें दर्ज कर रही हैं। पृथक्वास के नियम में यह ढील चीन से अलग है जहां विदेश से आने वालों को अब भी 21 दिन के लिए अलग रहा होगा।

भारत-अमेरिका संबंधों का महत्वपूर्ण स्तंभ है प्रवासी समुदाय: तरणजीत सिंह संधू

वाशिंगटन: भारत सरकार द्वारा 3 प्रभावी भारतीय अमेरिकियों को पद्म भूषण नागरिक पुरस्कार देने की घोषणा के बाद अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने कहा कि भारतीय मूल के



अमेरिकी प्रवासियों ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस बीच, अमेरिका के शीर्ष सांसदों ने 130 करोड़ भारतीयों और दुनियाभर में फैले भारतीय समुदाय के सदस्यों को बुधवार को 73वां गणराज्य दिवस के मौके पर बधाई दी। सधूं में कि प्रवासी भारतीय समुदाय विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों के माध्यम से संबंधों को मजबूती प्रदान करते हुए भारत की विकास यात्रा में योगदान देता है। संधू ने कहा कि इस साल 3 विशेष अप्रवासी सदस्यों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, जिनमें भारतीय व्यंजनों को लोकप्रिय बनाने वाली मधु जाफरी और प्रीद्युमिका के क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले सत्य नडेला तथा सुदर शामिल हैं।

भारत की एस-400 मिसाइल डील पर बोला अमेरिका-‘अधिकृत करने वाली गूगिका’ जिगा रहा स्ट्र

वाशिंगटन: अमेरिका ने कहा कि रूस का भारत को एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली बेचना क्षेत्र में और संभवतः उससे बाहर अस्थिरता पैदा करने में मास्को की भूमिका को प्रदर्शित करता है। अमेरिका भारत द्वारा रूस से मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदे जाने पर कई बार चिंता व्यक्त कर चुका है। भारत ने जोर देकर कहा है कि देश अपनी-अपनी ओर से क्रियान्वयन कर रहे हैं। बीते 24 जनवरी को नावीं की राजधानी ओस्लो में पश्चिमी देशों के प्रतिनिधियों के साथ तालिबान के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। इस बार्ता में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, यूरोपीय संघ और नावीं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। उन्होंने अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की साथ ही अफगानिस्तान में मानविकी संकट को दूर करने पर जोर दिया।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com | www.facebook.com/krantisamay | www.twitter.com/krantisamay1

2020 दिल्ली दंगा मामला : वकील की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में दखा अपना पक्ष

नई दिल्ली। किसान विरोध और दिल्ली दंगों संबंधित मामलों पर पक्ष रखने के लिए वकील की नियुक्ति को लेकर एक बार आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल आमने-सामने हैं। शुक्रवार को मामले में सुनवाई के दौरान उपराज्यपाल अनिल सामने है। शुक्रवार को वकील की ओर से नियुक्त विधायक संवेदनस्थ प्रक्रिया के होने के कारण मामले राष्ट्रीय महत्व के हैं। केंद्र सरकार और दिल्ली एलजी की ओर से पेश कामन काउंटर हलफानमें पक्ष रखते हुए कहा गया है कि दिल्ली दंगों और किसान आंदोलन के मालों में सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा की, जिससे देश की कानून और व्यवस्था में भरोसे का दोषारा स्थापित करने के लिए उत्तराधीन रक्त छुशल, निष्पक्ष और न्यूनतम अधियोक्ता की जरूरत है।

यह है पूरा मामला।

दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली दंगा मामलों और किसान आंदोलन को लेकर वकील की नियुक्ति को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली सरकार का तर्क है कि 2021 में 26 जनवरी को लाल किला हिंसा और दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में पुलिस द्वारा चुने गए किलों को उपराज्यपाल द्वारा विशेष लोक अधियोक्ता (स्पेशली) नियुक्त करने से जांच एजेंसी और सरकारी पक्ष के बीच 'कोई अंतर' नहीं रह जाएगा। ये निर्णय पूरी तरह गैरकानूनी है। पिछली सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी मनु संघीयों ने कहा था कि मामला बहुत जरूरी है, लेकिन प्रतिवादियों उपराज्यपाल और केंद्र के अभी तक जवाब दिखाया नहीं किया है। वह, इस पर शुक्रवार को केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि दोनों ही मामले अत्यधिक संवेदनशील प्रक्रिया के होने के कारण मामले राष्ट्रीय महत्व के हैं।

डीडीएमए ने नहीं दी रक्कूल खोलने की इजाजत

नई दिल्ली। दिल्ली आपदा प्रबंधन ने अपी स्कूलों को खोलने की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में राजधानी के आर्यों को फिलहाल अनलाइन माध्यम से ही बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करनी होगी। हालांकि, स्कूल प्रबंधन के साथ ही अनुमति मिलने का इंतजार कर रहे थे। स्कूलों के प्रधानाचार्य का कहाना है कि अब सीबीएसई के सैपल पेपर से अनलाइन माध्यम से लिखित परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। वहीं, प्रायोगिक परीक्षा की तैयारी को लेकर भी योजना बनाई जाएगी। द्वारा सेक्टर-1 की स्ट्रिल पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य सुधा आचार्या ने कहा कि मार्च-अप्रैल में टम्प-2 की बोर्ड परीक्षाएं होनी हैं, लेकिन अभी तक प्रायोगिक विषयों की तैयारी नहीं हो सकी है। स्कूल नहीं खुलने से छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। स्कूल खुलने पर बच्चों की बहतर तैयारी कराई जा सकती थी। वहीं, पुणे विवाह स्थित विरासत विद्या निकेतन स्कूल की प्रधानाचार्य मीना बुर्जुआ ने बताया कि अब आपको को साथ-साथ शिक्षकों की भी स्कूल खुलने का इंतजार था। अब अधिकारीक विषयों की तैयारी के लिए एस्पायन विज्ञान, भौतिकी और जीव विज्ञान से संबंधित प्रयोगों का वीडियो रिकार्ड कर छात्रों को भेज रहे हैं। ताकि छात्रों की थोड़ी तैयारी हो सके। इवां दंगा हुए मायूस-स्कूल न खोले जाने से सबसे ज्यादा मायूसी बोर्ड के छात्रों को झोला हुआ है। छात्रों के मुताबिक माल, सिनेमा हाल और बाजार खोले गए हैं, लेकिन दिक्किनार किया जा रहा है। जात्रा चाचों के मुताबिक बोर्ड परीक्षाएं नहीं जीके हैं, ऐसे में एक बार फिर बच्चों की चिता बढ़ गई है। वहीं, छात्र आशीष के मुताबिक स्कूल न खोले जाने की वजह से परीक्षाओं की तैयारी में समस्या आएगी। स्कूल जाकर विषय को जारी है से समस्या के लिए लेब में विषय से संबंधित प्रयोग करने से काफी मदद मिलती है।

362 करोड़ की जीएसटी चोरी में दो मास्टरमाइंड गिरफ्तार

गाजियाबाद। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) सुचना महानिदेशालय की गाजियाबाद थेंड्रीय इकई ने फर्जी कंपनियां बनाकर इनवायस जारी करने वाले एक गिरफ्तार का पदार्पण किया। इन कंपनियों की ओर से कुल 3189 करोड़ रुपये के फर्जी बिल जारी करते हुए 362 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी की पढ़ाई है। सीजीएसटी के अपर आयुक ऋषिकेश सिंह ने बताया कि डाटा माइनिंग के बारे में एक अधिकारी परीक्षण के फिल्मों पर टीम ने छापेमारी की, जहां 200 से अधिक कंपनियों की फाइल, मोबाइल नंबर, डिजिटल सिमेनेशन, डिम कार्ड्स, आधार कार्ड, बैन कार्ड, बैन ड्राइव, आपिस की चाचियां, चेक बुक, बक्स की मोर्टें और अन्य कागजात बराबर हुए। जांच में पता चला कि इस नेटवर्क के बारे में जरूरी की माला पहनाकर सड़कों पर घुसा बुझा गया इस विजैन काम में केंद्र आदमी ही नहीं और उन्होंने भी शामिल थी। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि गिरफ्तार किए गए 11 आरोपियों में 9 महिलाओं के नाम एकआधीनार में दर्ज

भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना मामलों में आई गिरावट, सामने आए 2.51 लाख केस, 627 लोगों ने गंवाई जान

नई दिल्ली। देश में कोरोना मामलों में शुक्रवार की गिरावट दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के बचाव में केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त विधायक संवेदनस्थ प्रक्रिया के होने के कारण मामले राष्ट्रीय महत्व के हैं। केंद्र सरकार और दिल्ली एलजी की ओर से पेश कामन काउंटर हलफानमें पक्ष रखते हुए कहा गया है कि दिल्ली दंगों और किसान आंदोलन के मालों में सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा की, जिससे देश की कानून और व्यवस्था में भरोसे का दोषारा दर्शाया गया है।

यह है पूरा मामला।

दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली दंगा मामलों और किसान आंदोलन को लेकर वकील की नियुक्ति को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली सरकार का तर्क है कि 2021 में 26 जनवरी को लाल किला हिंसा और दिल्ली दंगों में पुलिस द्वारा चुने गए किलों को उपराज्यपाल द्वारा विशेष लोक अधियोक्ता (स्पेशली) नियुक्त करने से जांच एजेंसी और सरकारी पक्ष के बीच 'कोई अंतर' नहीं रह जाएगा। ये निर्णय पूरी तरह गैरकानूनी है।

पिछली सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी मनु संघीयों ने कहा था कि मामला बहुत जरूरी है, लेकिन प्रतिवादियों उपराज्यपाल और केंद्र के अभी तक जवाब दिखाया नहीं किया है। वह, इस पर शुक्रवार को केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि दोनों ही मामले अत्यधिक संवेदनशील प्रक्रिया के होने के कारण मामले राष्ट्रीय महत्व के हैं।

नई दिल्ली। देश में कोरोना



कुल केस का 5.18फीसदी है। वहीं, डेली पॉजिटिविटी रेट 15.88 है। भारत में अब तक कोरोना वायरस के 2.51 लाख केस 3,80,24,771 लोग ठीक हो चुके हैं। भारत में अब तक कोरोना वैक्सीन की 1,64,44,73,216 डोज लग चुकी हैं।

राज्यों में जानें में कोरोना का हाल-

- केरल में सभी राज्यों में सबसे ज्यादा केस समाने आए। इस दौरान 627 लोगों की मौत हुई। वहीं, देश में 3,47,443 लोग ठीक हुए। गुरुवार की तुलना में भारत में कोरोना के करीब 35,000 कम केस समाने आए। गुरुवार को कोरोना के 2.86 लाख केस मिले थे। वहीं, 573 लोगों ने अपनी मौत हुई।

भारत में एकिटव केस की बात करें तो 22 लाख से घटकर

21,05,611 पर आ गए हैं। वहीं

कोरोना के 2.86 लाख केस मिले थे।

वहीं, 573 लोगों ने अपनी

मौत हुई।

जबकि 11 मरीजों की मौत हुई।

कर्नाटक में कोरोना के

38,083 नए मामले समाने आए

हैं। हालांकि, यहां 67,236 मरीज

ठीक हुए और 49 मरीजों की मौत हुई।

तमिलनाडु में कोरोना के

कोरोना के 34 लोगों की मौत हुई।

हालांकि, यहां 1,17,884 हैं।

दिल्ली में पिछले 24 घंटे में

कोरोना के 4,291 मामले आए

हैं। इस दौरान 2,719 लोग डिस्चार्ज हुए और 5

लोगों की मौत हुई।

सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र विधानसभा

स्पीकर को बड़ा झटका, बीजेपी के 12 विधायिकों

के सदन से निलंबन को गलत बताया

है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा के 12 विधायिकों का निलंबन दूर कर महाराष्ट्र भाजपा को एक बड़ी गति दी। बता दें कि इन विधायिकों को पीठासीन अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में निलंबित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा 12

पहले नाम और अब छात्र
आंदोलन को लेकर सुरक्षियों में
आए पटना वाले खान सर

नई दिल्ली। बिहार पुलिस ने पटना में यूट्यूबर खान सर और अन्य के खिलाफ रेलवे भर्ती परीक्षा के परिणाम पर हिस्से विरोध के बाबत में एक प्राथमिकी दर्ज की। प्रतियोगी परीक्षाओं की कोंचिंग क्लास करने वाले खान सर पर सोमवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है। पटना में सोमवार और मंगलवार को हिरासत में लिए गए आंदोलनकारी छात्रों के बाबत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि वे एक वीडियो के बाद हिंसा में शामिल होने के लिए प्रेरित थे, जिसमें खान सर ने कथित तौर पर आराबी एनटीपीसी परीक्षा रद नहीं होने पर छात्रों को सङ्कोच पर आंदोलन चारों तरफ लिए उकसाया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

क्या कहते हैं खान सर?

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्राथमिकी दर्ज होने से पहले खान सर ने कहा कि अगर हिंसा में उनकी भूमिका है तो उन्हें पिरपत्तर किया जाना चाहिए। उन्होंने हिंसा के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उन्होंने इंटर्सीटिएट और स्नातक छात्रों को समान परिणाम दिए। उन्होंने कहा कि इससे स्नातक छात्रों को ही फायदा हुआ है। उन्होंने हिंसक मोड़ लेने वाले विरोध प्रदर्शनों के लिए अराबी को जिम्मेदार ठहराया।

कौन हैं पटना वाले खान सर?

पटना वाले खान सर का वीडियो खूब वायरल होता है। वह यू-ट्यूब की दुनिया के चीर्चित शब्दों में से एक है। वह खान जी-एस रिसर्च सेंटर नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। यहाँ उनके कीबॉल 1.45 करोड़ फॉलोवर्स हैं। करेंट अफेयर्स और जी-एस को देसी अंदाज में समझने में उन्हें महारत हासिल है। यूट्यूब पर उनके वीडियो के ब्यूज़ करेंडों में हैं।

योगी आदित्यनाथ ने गिनाया मुसलमानों के लिए कितना किया काम, बताया क्यों नहीं दिया टिकट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार ने मजहब के अधार पर कभी भेदभाव नहीं किया और जो फायदे हिंदुओं को मिल रहे हैं वही मुसलमानों को भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था में सुधार का फायदा देने समुदायों को हुआ है। हिंदुओं की बेटियां सुरक्षित हुई हैं तो मुस्लिम बेटियां भी सुरक्षा दी गई है। हर एक को सुरक्षा की गारंटी दी गई है। सुरक्षा के मुद्दे पर और शासन की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं किया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यादि हिंदू पर्व और त्योहार शांति से मनाए जा रहे हैं तो मुस्लिम पर्व-त्योहार भी शांति से मनाए जा रहे हैं। अपर यहाँ कफ्यू नहीं तो वहाँ भी कफ्यू नहीं। लेकिन यहाँ की सुरक्षा खतरे में पड़ी तो वहाँ की सुरक्षा भी खतरे में पड़ी। यही तो हीना था कि पर्व और त्योहार आने से पहले कफ्यू लगा जाता था। अब तो नहीं हो रहा है ना। हर पर्व त्योहार शांति से मनाया जा रहा है। हर बहन-बेटी, क्या

सभ्य और संभात मुस्लिम समाज से जड़े लोग हैं, वे सरकार के काम से खुश हैं। अगर सुरक्षा दिंदू बेटी को मिली है तो मुस्लिम बेटी को भी मिली है। हिंदू महिला को सुरक्षा मिली है तो मुस्लिम महिला को भी सुरक्षा मिली है। हिंदू व्यापारी खुश हैं तो मुस्लिम व्यापारी को भी सुरक्षा दी गई है। हर एक को सुरक्षा की गारंटी दी गई है। सुरक्षा के मुद्दे पर और शासन की योजनाओं में कोई



जाति क्या धर्म, सभी सुरक्षित हैं।

क्यों नहीं दिया किसी मुस्लिम

यह सबाल किया गया कि बीजेपी ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को क्यों नहीं कोटि?

चुनाव में उत्तरा तो उन्होंने कहा, 'समाजवादी पार्टी ठेका ले ले, हर सीट पर टिकट दे दे, कौन रोक रहा है उनको।' चुनाव की केमेस्ट्री विश्वास पर आधारित होता है, लोगों के आवेदन पर आधारित होता है, जीत और हार के समीकरण पर निर्धारित होता है। यह मेरे कहने वाले यारे देने नहीं होता है।'

'आबादी 19 फीसदी, लाभ 35 फीसदी'

योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'हमने 45 लाख आवास दिए, 35 फीसदी मुस्लिम आबादी को आवास मिले। हमने 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बनाए, 35 फीसदी लाभ मुस्लिम समूदाय को मिला है। हम 15 करोड़ लोगों को रोशन दे रहे हैं, इनमें 5 करोड़ मुस्लिम हैं। इसमें कहीं भेदभाव हुआ है क्या? हमने 9 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की सलाना स्वास्थ्य बीमा का अयुष्मान योजना का कवर दिया है। आबादी इनमें 3 करोड़ मुस्लिम हैं। आबादी मुक्त बीजेपी सरकार ने दिलाई है।'

केरल सरकार ने स्टूडेंट पुलिस कैडेट को हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दी

कहा-धर्मनिरपेक्षता प्रभावित होगी

तिरुवनंतपुरम। केरल सरकार ने मुस्लिम छात्रों की खारिज कर दिया है, जिसमें स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोजेक्ट में धार्मिक रियाजों के तहत हिजाब और पूरी बांध की ड्रेस पहनने की इजाजत मांगी गई थी। सरकार ने कहा कि राज्य पुलिस के कार्यक्रम में इस तरह की छट्ट सरकार ने कहा कि इसलिए इस तरह का कोई संकेत देना सही नहीं होगा कि स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोजेक्ट में धार्मिक त्रिकों को दिखाया किया जाता है। स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स की फैक्टरी ने कहा कि इसलामी मान्यताओं के अनुसार सिर पर दुपट्टा और पूरी बांध की पोशाक पहनने की इजाजत नहीं होगी, इसके बाद छात्रों को अदालत का रुख किया था। केरल सरकार के रियाज के लिए रियाज कर दी थी मांग के रुप में विकसित होने की ट्रेनिंग देता है। राज्य के गृह विभाग ने अपने आदेश में कहा कि सरकार, छात्रों के ज्ञान पर साक्षातीय पूर्वक गौर करने के तहत हिजाब और पूरी बांध की ड्रेस पहनने की मांग को खारिज कर दिया था। इसके बाद छात्रों ने राज्य सरकार से गुहार लगाई थी। हालांकि, अदालत ने कहा था कि वह रियाज करने के लिए उठाई गई शिकायत को गत्ता सरकार के सामने रख सकती है।

केरल हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी मांग

केरल हाईकोर्ट ने स्टूडेंट पुलिस यूनिफॉर्म के तहत हिजाब और पूरी बांध की ड्रेस पहनने की मांग को खारिज कर दिया था। इसके बाद छात्रों ने राज्य सरकार से गुहार लगाई थी। हालांकि, अदालत ने कहा था कि वह रियाज करने के लिए उठाई गई शिकायत को गत्ता सरकार के सामने रख सकती है।

केरल हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी मांग

केरल हाईकोर्ट ने स्टूडेंट पुलिस यूनिफॉर्म के तहत हिजाब और पूरी बांध की ड्रेस पहनने की मांग को खारिज कर दिया था। इसके बाद छात्रों ने राज्य सरकार से गुहार लगाई थी। हालांकि, अदालत ने कहा था कि वह रियाज करने के लिए उठाई गई शिकायत को गत्ता सरकार के सामने रख सकती है।

केरल हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी मांग

केरल हाईकोर्ट ने स्टूडेंट पुलिस यूनिफॉर्म के तहत हिजाब और पूरी बांध की ड्रेस पहनने की मांग को खारिज कर दिया था। इसके बाद छात्रों ने राज्य सरकार से गुहार लगाई थी। हालांकि, अदालत ने कहा था कि वह रियाज करने के लिए उठाई गई शिकायत को गत्ता सरकार के सामने रख सकती है।

केरल हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी मांग

केरल हाईकोर्ट ने स्टूडेंट पुलिस यूनिफॉर्म के तहत हिजाब और पूरी बांध की ड्रेस पहनने की मांग को खारिज कर दिया था। इसके बाद छात्रों ने राज्य सरकार से गुहार लगाई थी। हालांकि, अदालत ने कहा था कि वह रियाज करने के लिए उठाई गई शिकायत को गत्ता सरकार के सामने रख सकती है।

केरल हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी मांग

केरल हाईकोर्ट ने स्टूडेंट पुलिस यूनिफॉर्म के तहत हिजाब और पूरी बांध की ड्रेस पहनने की मांग को खारिज कर दिया था। इसके बाद छात्रों ने राज्य सरकार से गुहार लगाई थी। हालांकि, अदालत ने कहा था कि वह रियाज करने के लिए उठाई गई शिकायत को गत्ता सरकार के सामने रख सकती है।

केरल हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी मांग

केरल हाईकोर्ट ने स्टूडेंट पुलिस यूनिफॉर्म के तहत हिजाब और पूरी बांध की ड्रेस पहनने की मांग को खारिज कर दिया था। इसके बाद छात्रों ने राज्य सरकार से गुहार लगाई थी। हालांकि, अदालत ने कहा था कि वह रियाज करने के लिए उठाई गई शिकायत को गत्ता सरकार के सामने रख सकती है।

केरल हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी मांग

केरल हाईकोर्ट ने स्टूडेंट पुलिस यूनिफॉर्म के तहत हिजाब और पूरी बांध की ड्रेस पहनने की मांग को खारिज कर दिया था। इसके बाद छात्रों ने राज्य सरकार से गुहार लगाई थी। हालांकि, अदालत ने कहा था कि वह रियाज करने के लिए उठाई गई शिकायत को